13 नवंबर, 2020 कार्यकारी
आदेश 2020-72

**<u>COVID-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>**
**<u>(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 68)</u>**

**जबकि**, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, जो शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गई है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, कोविड-19 श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणरहित लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

**जबकि**, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाए इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; और,

**चूँकि,** कोविड-19 के परिणामस्वरूप गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें आय और मज़दूरी का नुकसान भी शामिल है, जिससे कई इलिनॉयवासियों की वित्तीय सुरक्षा कमज़ोर होने का ख़तरा है; और,

**चूँकि,** आवासीय और निष्कासन कार्यवाहियाँ इलिनॉय कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर 735 ILCS 5/9- 101 *et seq.* की धारा IX के अंतर्गत शासित हैं; और,

**जबकि**, इस समय जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच में, आवासीय निष्कासन यह सुनिश्चित करने के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के हित के विपरीत हैं कि लोग अधिकतम संभव अपने-अपने घरों में ही रहें; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, आवास की सुविधा ने COVID-19 के फैलाव को रोकने में मदद की है क्योंकि आवास की सुविधा वाले लोग अपने घरों के बाहर मौजूद लोगों से शारीरिक संपर्क को कम कर पाए हैं; और,

**जबकि**, अस्थायी रूप से बेदखली की कार्यवाही को रोकना, निकाले जाने से जुड़े कई संपर्कों से बचाता है, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारी, कोर्ट रूम कर्मी, मकान मालिक, मूवर्स (सामान स्थनांतरण करने वाले) और मित्र और परिवार शामिल हैं, जिन्हे अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए, साथ ही उन लोगों को भी जो बेघर होने के लिए मजबूर हैं, किसी आश्रय में शरण का प्रयास करने और शरण लेने से जुड़े संपर्कों से बचाता है; और,

**जबकि**, अस्थायी रूप से बेदखली कार्यवाहियों को रोकना प्रसार को रोकता है, इस प्रकार यह व्यापक समुदाय में COVID-19 के प्रसार को भी रोकता है; और,

**जबकि**, 20 मार्च, 2020 को, मैंने सरकारी आदेश 2020-10 जारी किया था, जिसमें मैंने राज्य के, काउंटी के, और स्थानीय शासन के सभी विधि प्रवर्तन अधिकारियों को आवासीय संपत्तियों पर निष्कासन आदेश लागू करना रोक देने के आदेश दिए थे; और,

**जबकि**, 23 अप्रैल, 2020 को, मैंने सरकारी आदेश 2020-30 आंशिक रूप से इसलिए जारी किया था क्योंकि निरंतर जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के चलते आवासीय निष्कासन की कार्यवाहियों का आरंभ रोकने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई थी; और,

**जबकि**, 30 अप्रैल, 2020 को मैंने सरकारी आदेश 2020-33 जारी किया था, जिसने आवासीय निष्कासन कार्रवाइयों को लागू किए जाने पर निषेध को जारी रखने के लिए सरकारी आदेश 2020-30 को संशोधित किया था; और,

**जबकि**, कार्यकारी आदेश 2020-33 में आवासीय निष्कासन कार्रवाई के आरंभ पर और आवासीय निष्कासन आदेशों को लागू किए जाने पर जो निषेध वर्णित हैं उन्हें अनुवर्ती सरकारी आदेशों द्वारा विस्तार दे दिया गया है; और,

**जबकि**, 13 नवंबर, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के जारी रहने, और वास्तव में बढ़ने ऍऔर राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि,** राज्य में नए COVID-19 मामलों की संख्या पिछले कई हफ्तों से बहुत बढ़ गई है, और वाइरस हज़ारों व्यक्तियों को लगातार संक्रमित करता है एवं प्रतिदिन बहुत से इलिनॉय निवासियों की जान लेता है; और

**जबकि,** राज्य और इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने एक शमन योजना बनाई है जो क्षेत्र में एक निश्चित स्तर का खतरा होने पर अतिरिक्त रूप से सावधानियां रखने के लिए है; और,

**जबकि**, 13 नवम्बर 2020 तक, राज्य के सभी क्षेत्रों में ये अतिरिक्त न्यूनीकरण रणनीतियां सक्रिय की जा चुकी हैं; और,

**जबकि**, जहां पूर्व में इलिनॉय वासियों द्वारा बरती गईं सावधानियों ने राज्य में कोविड-19 (COVID-19) के मामलों और मौतों में वृद्धि को धीमा किया था, वहीं अब राज्य में मामलों की संख्या एक बार फिर विस्फोटक गति से बढ़ रही है; और,

**जबकि**, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने की कार्रवाई की सतत आवश्यकता को मानते हुए यह सरकारी आदेश, निष्कासनों के आरंभ होने एवं उन्हें लागू किए जाने पर लागू निषेध को, संपूर्ण राज्य में किरायेदारों और मकानमालिकों के अधिकारों को संतुलित करने के इरादे वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ, विस्तार देता है;

**अतः** इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 13, 2020 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(8), और 7(10), 7(12) और 20(3305) के अनुसरण में, और राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निर्धारित शक्तियों के अनुरूप, जो नवंबर 13, 2020 से प्रभावी हैं:

अनुभाग 1. इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

(a) "कवर्ड व्यक्ति" का अर्थ किसी आवासीय संपत्ति के ऐसे किसी भी किरायेदार, पट्टाधारी, उप-पट्टाधारी, या निवासी से है जो अपने मकानमालिक, आवासीय संपत्ति के स्वामी, या निष्कासन अथवा कब्ज़े की कार्रवाई के संचालन या उक्त कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कानूनी अधिकार से युक्त किसी व्यक्ति या इकाई को, झूठी गवाही के दंड के अधीन इस आशय की घोषणा प्रदान करता है कि:
    1. या तो व्यक्ति को (i) कैलेंडर वर्ष 2020 में $99,000 से अधिक की (या यदि संयुक्त टैक्स रिटर्न भरा जाता हो तो $198,000 से अधिक की) वार्षिक आय होना अपेक्षित नहीं है, या,

व्यक्ति के लिए (ii) अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा को 2019 में कोई भी आय सूचित करना आवश्यक नहीं था, या फिर, (iii) उसे केयर्स (CARES) अधिनियम की धारा 2001 के अनुसरण में आर्थिक प्रभाव भुगतान मिला था;

2. व्यक्ति कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित किसी कठिनाई, जिसमें आय की उल्लेखनीय हानि, पूर्ति-योग्य कार्य के घंटों या वेतन की हानि, या अपनी जेब से किए जाने वाले व्ययों में सीधे तौर पर कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी से संबंधित वृद्धि शामिल हैं पर वह इन्हीं तक सीमित नहीं है, के कारण किराया या आवासीय भुगतान पूरी तरह चुकाने में असमर्थ है;
3. व्यक्ति, अन्य अनिवार्य व्ययों को हिसाब में लेते हुए, व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण भुगतान के अधिकतम संभव समीप आंशिक भुगतान समय से करने के हर संभव प्रयास कर रहा है; और,
4. निष्कासन के कारण व्यक्ति के बेघर हो जाने की—या किसी नए एकत्रण अथवा साझा निवास स्थान के अत्यंत समीप जा कर रहने लगने की—संभावना है क्योंकि व्यक्ति के पास अन्य कोई आवास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

(b) "घोषणा" का अर्थ इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रपत्र घोषणा (या, झूठी गवाही के दंड के अधीन ऐसी ही किसी अन्य घोषणा) से है जिसका उपयोग इस सरकारी आदेश के दायरे में आने वाले आवासीय संपत्तियों के किरायेदार, पट्टाधारी, उप-पट्टाधारी, या निवासी इस सरकारी आदेश की सुरक्षाओं का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक मकानमालिक, किसी आवासीय संपत्ति के स्वामी, या निष्कासन अथवा कब्ज़े की कार्रवाई संचालित करने या उक्त कार्रवाई आगे बढ़ाने के कानूनी अधिकार से युक्त अन्य व्यक्ति या इकाई को, किसी भी आवासीय निष्कासन कार्यवाही, जिसमें किरायेदारी की समाप्ति का नोटिस जारी करना शामिल है पर वह इसी तक सीमित नहीं है, को आरंभ करने से पहले, एक घोषणा प्रदान करनी होगी।

(c) "अनिवार्य व्ययों" में भोजन, जनोपयोगी सेवाएं (बिजली, पानी, गैस), फोन व इंटरनेट एक्सेस, स्कूली सामान, ठंडे मौसम के कपड़े, चिकित्सा व्यय, बच्चों की देखभाल, और कार भुगतान व बीमा समेत परिवहन की लागतें शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुभाग 2. कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी कवर्ड व्यक्ति के विरुद्ध 735 ILCS 5/9-101 *एवं अनुवर्ती* के अनुसरण में या के अधीन उत्पन्न होने वाली आवासीय निष्कासन कार्रवाई तब तक आरंभ नहीं कर सकता है जब तक कि वह कवर्ड व्यक्ति, अन्य किरायेदारों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए कोई प्रत्यक्ष ख़तरा या संपत्ति के लिए कोई आसन्न व गंभीर जोख़िम न प्रस्तुत करता हो।

अनुभाग 3. इलिनॉय राज्य के सभी राजकीय, काऊँटी, और स्थानीय क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों को गैर-आवासीय परिसर में से निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन को रोकने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किराएदार किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, या आवासीय संपत्ति का निवासी न हो से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष ख़तरा नहीं हो, जब तक कि संपत्ति को तत्काल कोई गंभीर ख़तरा नहीं हो।

अनुभाग 4. इस कार्यकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति को किराए का भुगतान करने या किसी व्यक्ति के ठेके या किराया समझौते के अनुसरण में किसी अन्य दायित्व, के अनुपालन करने से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अनुभाग 5. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)**

**राज्यपाल (गवर्नर)**

राज्यपाल द्वारा नवंबर 13, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा नवंबर 13, 2020 को दायर